न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 02/2016

हरचन्द पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासी हमीरी कलां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
—अपीलार्थी

—बनाम—

1. भागीरथ पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासी हमीरी कला, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. इन्द्राज पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासी हमीरी कला, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3. मातु पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासी हमीरी कला, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4. महावीर प्रसाद पुत्र फाटुराम जाति मेघवाल निवासी हमीरी कला, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5. सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर
विभाजन अनुबंध दिनांक 15.12.2004

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद गिल, एडवोकेट ———— ———— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विजयपाल प्रथम एडवोकेट ———————— रेस्पोडेंट नंबर 1 से 4 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 30.01.2020

उक्त अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार मलसीसर विभाजन अनुबंध दिनांक 15.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि अदालत मातहत दिनांक 15.12.2004 खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्त है। दिनांक 15.12.2004 गांव में कैम्प लगा तब रेस्पोडेंट नं0 1 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर ले गया था परन्तु उक्त भागीरथ ने अपीलार्थी के घर आने के पश्चात खसरा नंबर व रकबा में कांट—छांट कर दी। कानूनन अपीलार्थी के हिस्से में 40 हैक्टर भूमि आती है, जब कि मौके पर अपीलार्थी को .37 हैक्टर भूमि दी है, जो गलत है। अनुबंध में खसरा नंबर 23 के आगे .46 हैक्टर लिखा हुआ है जबकि रिकार्ड में .37 हैक्टर अमल दरामद हुई है। रकबा खसरा नंबर 24 का दर्ज कर दिया तथा खसरा नंबर काटकर 24 का 23 कर दिया तथा मातुराम का 23 को काटकर 24 कर दिया तथा उसका रकबा .37 हैक्टर दर्ज है। जबकि रिकार्ड में अमल दरामद .46 हैक्टर भूमि मिल गई। उक्त कांट—छांट पर कोई

18
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

हस्ताक्षर नहीं हैं, जो आज्ञापक प्रावधान है। उक्त कांट –छांट पर हस्ताक्षर होने चाहिये थे। उक्त भूमि के विभाजन बाबत रास्ते का कोई कथन नहीं है। मौके पर अब भागीरथ अपीलार्थी को अपने खेत में जाने से रोक रहा है जब कि रास्ते बाबत इन्द्राज होना चाहिये था। अपीलार्थी को ना तो अनुबंध के अनसार भूमि मिली तथा ना ही मौके पर जाने का रास्ता मिला उक्त विभाजन बिना रास्ता के काबिले निरस्त है। अतः अपीला अपीलार्थी स्वीकार कर आदेश दिनांक 15.12.2004 निरस्त किया जावे या निरस्त कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित की जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– है। दिनांक 15.12.2004 गांव में कैम्प लगा तब रेस्पोडेंट नं0 1 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर ले गया था परन्तु उक्त भागीरथ ने अपीलार्थी के घर आने के पश्चात खसरा नंबर व रकबा में कांट–छांट कर दी। कानूनन अपीलार्थी के हिस्से में 40 हैक्टर भूमि आती है, जब कि मौके पर अपीलार्थी को .37 हैक्टर भूमि दी है, जो गलत है। अनुबंध में खसरा नंबर 23 के आगे .46 हैक्टर लिखा हुआ है जबकि रिकार्ड में .37 हैक्टर अमल दरामद हुई है। रकबा खसरा नंबर 24 का दर्ज कर दिया तथा खसरा नंबर काटकर 24 का 23 कर दिया तथा मातुराम का 23 को काटकर 24 कर दिया तथा उसका रकबा .37 हैक्टर दर्ज है। जबकि रिकार्ड में अमल दरामद .46 हैक्टर भूमि मिल गई। उक्त कांट–छांट पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, जो आज्ञापक प्रावधान है। उक्त कांट –छांट पर हस्ताक्षर होने चाहिये थे। उक्त भूमि के विभाजन बाबत रास्ते का कोई कथन नहीं है। मौके पर अब भागीरथ अपीलार्थी को अपने खेत में जाने से रोक रहा है जब कि रास्ते बाबत इन्द्राज होना चाहिये था। अपीलार्थी को ना तो अनुबंध के अनसार भूमि मिली तथा ना ही मौके पर जाने का रास्ता मिला उक्त विभाजन बिना रास्ता के काबिले निरस्त है। अतः अपीला अपीलार्थी स्वीकार कर आदेश दिनांक 15.12.2004 निरस्त किया जावे या निरस्त कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया है। पारित निर्णय विधिसम्मत है जसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्त अपीलांट का कथन है कि–दिनांक 15.12.2004 गांव में कैम्प लगा तब रेस्पोडेंट नं0

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

1 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर ले गया था परन्तु उक्त भागीरथ ने अपीलार्थी के घर आने के पश्चात खसरा नंबर व रकबा में कांट–छांट कर दी। कानूनन अपीलार्थी के हिस्से में 40 हैक्टर भूमि आती है, जब कि मौके पर अपीलार्थी को .37 हैक्टर भूमि दी है, जो गलत है। अनुबंध में खसरा नंबर 23 के आगे .46 हैक्टर लिखा हुआ है जबकि रिकार्ड में .37 हैक्टर अमल दरामद हुई है। रकबा खसरा नंबर 24 का दर्ज कर दिया तथा खसरा नंबर काटकर 24 का 23 कर दिया तथा मातुराम का 23 को काटकर 24 कर दिया तथा उसका रकबा .37 हैक्टर दर्ज है। जबकि रिकार्ड में अमल दरामद .46 हैक्टर भूमि मिल गई। उक्त कांट–छांट पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, जो आज्ञापक प्रावधान है। उक्त कांट –छांट पर हस्ताक्षर होने चाहिये थे। उक्त भूमि के विभाजन बाबत रास्ते का कोई कथन नहीं है। मौके पर अब भागीरथ अपीलार्थी को अपने खेत में जाने से रोक रहा है जब कि रास्ते बाबत इन्द्राज होना चाहिये था। अपीलार्थी को ना तो अनुबंध के अनसार भूमि मिली तथा ना ही मौके पर जाने का रास्ता मिला। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि होती है विभाजन प्रस्ताव में काफी कांट–छाट करके उसके मूल स्वरूप को ही बदला हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित विभाजन अनुबंध दिनांक 15.12.2004 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मलसीसर को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके हक हिस्से के अनुसार पुनः विभाजन की कार्यवाही करें । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू